उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

06.12.19

आज पत्रावली 09.-R13 वास्ते बहस प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रार्थना-पत्र 09-R13 पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली आयन्दा तारीख 20.12.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

20/12/19

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली 0-9 R13 के आदेश हेतु दिनांक 31/1/20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

31/1/2020

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली मे बहस पूर्व मे सुनी गई थी। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं० 3 रविकान्त पुत्र जगतार सिंह जाति अरोड़ा निवासी पटियाला पंजाब के आम मुख्त्यार राजेश कुमार परनामी पुत्र जसराज परनामी नि० मकान नं० 443 स्ट्रीट नं० 2 कृष्णा नगरी अबोहर जिला फाजीलका पंजाब के रहने वाले है।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हु... नंबर व तारीख

न्यायालय द्वारा प्रतिवादी गण सं० 3 को जरिये
नोटिस /सम्मन तलब किया था लेकि प्रतिवादी
सं० 3 के कभी भी नोटिस /सम्मन तामील नही
हुए। प्रतिवादी सं० 3 के तामील हेतु स्थानीय समाचार
पत्र के तामील मानते हुए न्यायालय द्वारा 30-6-16
को प्रतिवादी सं० 3 की अनुपस्थित के कारण एक
पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया तथा
वादी के पक्ष में दिनांक 30/4 2017 को एक तरफा
निर्णय पारित कर दिया। वादी ने बदनीयती पूर्वक
केवल मात्र स्थानीय समाचार पत्र दैनिक खोज खबर
में ही न्यायालय का सम्मन प्रकाशित करवाया था
जबकि प्रतिवादी सं० 3 पटियाला पंजाब में निवास
करता था। जिससे प्रतिवादी सं० 3 को कोई जानकारी
नही हुई तथा न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं० 3 की
भी तामील मानते हुए एक तरफा कार्यवाही अमल में
लाई गई है जो अपास्त योग्य है।

वकील वादी ने प्रतिवादी के प्रा० पत्र का
जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं० 3
न्यायालय के द्वारा जारी नोटिसों की तामीली से
लगातार बचते रहने से न्यायालय द्वारा समाचार
पत्र के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराने का
आदेश पारित किया था एंव समाचार पत्र में प्रतिवादी
सं० 3 के तामीली नोटिस के प्रकाशन के बावजूद भी
प्रतिवादी के न्यायालय में हाजिर नही होने से एक
पक्षीय कार्यवाही न्यायालय द्वारा आदेश पारित
कर वाद डिक्री किया गया जो कानून सम्मत है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एंव
मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
एंव अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब का गहनता
से अवलोकन व मनन किया एंव दोनो पक्षों की

उपखण्ड अधिका...
...मेरपुर, जिला-पा...

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म तामील नंबर व तारीख
	बहस पर मनन किया। अप्रार्थी सं० 3 तख्तगढ़ मे नही रहकर उस समय पटियाला पंजाब मे रहता था एंव प्रार्थी द्वारा नोटिस का प्रकाशन दैनिक अखबार स्थानीय राजस्थान खोज खबर मे करवाया था जो कि राजस्थान मे ही वितरित होता है। दैनिक खोज खबर समाचार पत्र पूरे भारत का अखबार न होकर राजस्थान राज्य का अखबार होने से प्रतिवादी सं० 3 को सम्मन/नोटिस की जानकारी नही होना सही मानते हुए। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 13 सपठित धारा 151 का स्वीकार किया जाता है। एंव पूर्व आदेश दिनांक 30/4/2017 के एक तरफा निर्णय अपास्त किया जाता है। ~~[illegible]~~ निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली मूल वाद सं० 19/15 पुराने 10/2011 के संलग्न की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली मूल वाद सं० 19/15 के साथ आईन्दा दिनांक 19/3/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** सुमेरपुर, जिला-पाली	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2020.02.13 18:30:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: